

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई-मेल: adpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाष: 0141-2740837

क्रमांक: एफ 09 (05)(12-11) सासुपे नियम/सान्याअधि/2021-22/ 6/78

जयपुर, दिनांक 12/10/2021

आदेश

वर्तमान में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्याय 2 के नियम 4 उप नियम (1) में उल्लिखित विशेष योग्यजन की पात्रता की श्रेणियों में Person With Disabilities Act, 2016 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/ प्रतिस्थापित किया जाता है:-

| क्रम सं. | विशेष योग्यता का नाम (हिन्दी में) | विशेष योग्यता का नाम (अंग्रेजी में) |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | गति विषयक दिव्यांगता | LOCOMOTOR DISABILITY |
| 2. | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति | LEPROSY CURED PERSON |
| 3. | प्रमस्तिष्क घात | CEREBRAL PALSY |
| 4. | बौनापन | DWARFISM |
| 5. | पेशीय दुष्पोषण | MUSCULAR DYSTROPHY |
| 6. | तेजाबी आक्रमण पीड़ित | ACID ATTACK VICTIMS |
| 7. | अंधता | BLINDNESS |
| 8. | निम्नदृष्टि | LOW-VISION |
| 9. | श्रवण शक्ति का हास | HEARING IMPAIRMENT |
| 10. | वाक् एवं भाषा दिव्यांगता | SPEECH AND LANGUAGE DISABILITY |
| 11. | बौद्धिक दिव्यांगता | INTELLECTUAL DISABILITY |
| 12. | विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं | SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
| 13. | स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार | AUTISM SPECTRUM DISORDER |
| 14. | मानसिक रूग्णता | MENTAL ILLNESS |
| 15. | चिरकारी तंत्रिका दशाएं | CHRONIC NEUROLOGICAL CONDITION |
| 16. | बहु-स्केलेरोसिस | MULTIPLE SCLEROSIS |
| 17. | पार्किंसन रोग | PARKINSON'S DISEASE |
| 18. | हेमोफीलिया | HAEMOPHILIA |
| 19. | थेलेसीमिया | THALASSEMIA |
| 20. | सिक्कल कोशिका रोग | SICKLE CELL DISEASE |
| 21. | बहु दिव्यांगताएं | MULTIPLE DISABILITIES |

उक्त के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित के मामले पेंशनर की पात्रता श्रेणी में विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8344 दिनांक 17.05.2013 के अनुसार प्रावधान यथावत रहेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ 09 (05)(12-11) सासुपे नियम/सान्याअवि/2021-22/6179-678। जयपुर, दिनांक 2/10/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पदेन महानिदेशक, जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राजस्थान, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त श्रेणियां जनाधार डेटाबेस में अद्यतन कराएं।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/आयुक्त, नगर निगम/नगर परिषद् राजस्थान।
16. संयुक्त निदेशक (आई टी), कम्प्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
18. आदेश पत्रावली।

34

(ओ. पी. बुनकर) I.A.S.
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव